



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230735
CG-DL-E-26102021-230735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4112]
No. 4112]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 4467(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय की दिनांक 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 482(अ) को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हैं जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी के समतुल्य रखते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संपदा अधिकारी नियुक्त करती है जो संपदा अधिकारी को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	कारखाने का नाम, पता तथा पंजीकरण संख्या
(1)	(2)
श्री राजीव कुमार चौधरी, सहायक महाप्रबंधक प्रभारी (संपदा) मेकॉन लिमिटेड, रांची, झारखण्ड-834002	रांची, झारखण्ड में स्थित मेकॉन लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन और उससे संबंधित सभी परिसर

[फा. सं. 22(24)/2019-एमडी]

रसिका चौबे, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2021

S.O. 4467(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in suppression of the notification of the Government of India, Ministry of Steel number S.O 482(E) dated the 30th January, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name, designation and address of the officer.	Name, address and registration number of the factory.
(1)	(2)
Sh. Rajeev Kumar Chaudhary,, Assistant General Manager In-charge (Estate), MECON Limited, Ranchi Jharkhand-834002.	All premises belonging to and under the administrative control of MECON Limited located at Ranchi, Jharkhand.

[F. No. 22(24)/2019-MD]

RASIKA CHAUBE, Addl. Secy.